

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 1128 / 13

संस्थित दिनांक -12 / 12 / 13

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना रूपझर
 जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

01. समलू गोण्ड वल्द चमरा गोण्ड
 उम्र 35 वर्ष निवासी -दुल्हापुर,
 पुलिस चौकी सोनगुड्डा
 थाना रूपझर जिला बालाघाट म0प्र0

02. सुरेन्द्र मेरावी वल्द सुद्धु मेरावी
 उम्र 22 वर्ष नि-सुन्दरवाही
 जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपीगण

::निर्णय::

[दिनांक 03 / 02 / 2017 को घोषित]

1. आरोपी समलू के विरुद्ध धारा 279, 337 भा.द.वि. एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा 3/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने दिनांक 13.10.13 को समय करीब 15.15 बजे स्थान सोनगुड्डा थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 50/बी.ए.-9912 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत जयचंद को चोट पहुँचाकर उपहति कारित की एवं वाहन को बिना वैध लाईसेंस तथा बीमा के चलाया एवं आरोपी सुरेन्द्र के विरुद्ध मो.व्ही.एक्ट की धारा 5/180, 146/196 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है कि उसने उक्त दिनांक समय स्थान पर उक्त वाहन को बिना लाईसेंस तथा बीमा के चलवाया।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 13.10.13 को आहत जयचंद ने चौकी सोनगुड्डा थाना रूपझर में आकर सूचना दी कि सोनगुड्डा बाजार से घर की ओर जाते समय सोनगुड्डा धान पीसने की मशीन के आगे बड़ के पास करीब 03.15 बजे सामने से दुल्हापुर के समलू गोंड ने मोटरसाईकिल को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से

चलाकर उसकी साईकिल को ठोस मार दिया जिससे गिरने से उसके दाहिने गाल एवं बायें पैर के घुटने के नीचे चोट आयी है। सूचना पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान आहत का मुलाहिजा कराकर मौकानक्शा बनाकर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना में प्रयुक्त वाहन को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के द्वारा बीमा एवं लाईसेंस पेश नहीं करने से मो.व्ही.एक्ट की धारा बढ़ायी गयी। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी समलू ने दिनांक 13.10.13 को समय करीब 15:15 बजे स्थान सोनगुड्डा थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50/बी.ए.-6612 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
- (2) क्या आरोपी समलू ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर आहत जयचंद को चोट पहुंचाकर उपहति कारित की ?
- (3) क्या आरोपी समलू ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना किसी वैध लाईसेंस तथा बीमा के चलाया एवं अभियुक्त सुरेन्द्र ने चलवाया ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2, तथा 3

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. घटना के आहत जयचंद (अ.सा.01) का कथन है कि घटना इसी साल दशहरे के समय की है। वह सोनगुड्डा बाजार अपनी साईकिल से गया था। आरोपी सामने से अपनी मोटरसाईकिल से लेकर आ रहा था। चारघाट के पास आरोपी ने उसे टक्कर मार दिया। आरोपी अपनी गाड़ी को धीमी गति से चला रहा था। उसे दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नम्बर याद नहीं है। घटना के संबंध में उसने थाना रूपझर में रिपोर्ट प्र.पी.01 दर्ज कराया था, उसका मुलाहिजा बालाघाट अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने मौके पर आकर उसकी निशांदाही

पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था, रिपोर्ट प्र.पी.01 तथा मौकानक्शा प्र.पी.02 के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान लिया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 13.10.13 की है और वह सोनगुड्डा बाजार से अपनी मौसी के साथ घर जा रहा था तथा आरोपी समलू ने अपनी मोटरसाईकिल को लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी साईकिल को ठोस मार दिया था। घटना के अन्य सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी प्रमिला (अ.सा.02), लामू (अ.सा.03) तथा समलीबाई (अ.सा.06) ने घटना से स्पष्ट इंकार कर अपने पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी.03, 04 तथा 08 पुलिस को देने से इंकार किया है।

6. सुरेन्द्र (अ.सा.04) का कथन है कि घटना एक साल पुरानी वर्ष 2013 की है जब दशहरे के समय उसने आरोपी समलू को अपनी मोटरसाईकिल चलाने के लिए दिया था तो उसने एक्सीडेंट कर दिया था। मोटरसाईकिल का नम्बर एम.पी.50/बी.ए.-9912 है। उसने पुलिस को बयान दिया था। साक्षी को उसके पुलिस कथन प्र.पी.05 ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को ऐसा कथन देना व्यक्त किया।

7. योगेन्द्रसिंह चौहान (अ.सा.05) का कथन है कि दिनांक 14.10.13 को पुलिस चौकी सोनगुड्डा में अपराध क्रमांक 96/13 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा आहत जयचंद के बताये अनुसार घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 तैयार किया गया था। उक्त दिनांक को ही आहत जयचंद, प्रमिलाबाई व दिनांक 27.10.13 को साक्षी लामूसिंह, सुरेन्द्र, समलीबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। विवेचना के दौरान दिनांक 23.10.13 को समलूसिंह तेकाम से एक लाल रंग की स्टारसिटी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 50/बी.ए.-9912 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 बनाया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी समलू को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.07 तैयार किया था। उसके द्वारा जप्त शुदा वाहन क्रमांक एम.पी.50/बी.ए.-9912 का मैकेनिकल परीक्षण काशीराम द्वारा कराया गया था। उसके द्वारा धारा 133 मो.व्ही.एक्ट का नोटिस वाहन मालिक सुरेन्द्रकुमार को दिया गया था जिसके जवाब में उसने बताया था कि घटना दिनांक 13.10.13 को समलूसिंह वाहन चला रहा था, उससे घटना कारित हुई थी। घटना दिनांक को आरोपी द्वारा वाहन का बीमा एवं लाईसेंस पेश नहीं करने पर वाहन मालिक के खिलाफ धारा 5/180, 146/196 बढ़ायी गयी थी। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

08. घटना में अभियोजन द्वारा चिकित्सक साक्षी का परीक्षण नहीं

कराया है और उसकी अप्रस्तुति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है जिससे आहत की चोटें प्रमाणित नहीं है तथा स्वयं आहत जयचंद अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में उसे किसी प्रकार की चोट नहीं आने के कथन किये हैं। घटना के आहत जयचंद अ.सा.01 द्वारा ही अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि भीड़ की वजह से न तो उसने स्वयं और न ही आरोपी ने देखा था तथा दुर्घटना में समलू की गलती नहीं थी। उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी की लापरवाही से घटना नहीं घटी थी और खड़ी मोटरसाईकिल से उसकी साईकिल की टक्कर हो गयी थी। अभियोजन कहानी के अनुसार आहत जयचंद के साथ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी समलीबाई अ.सा.06 उपस्थित थी परंतु उक्त साक्षी ने भी ऐसी किसी घटना से स्पष्ट इंकार किया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है।

09. उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। किसी भी साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षा पूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत जयचंद को चोट पहुंचाकर उपहति कारित की। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा वाहन चालन ही प्रमाणित नहीं हुआ है तथा मो.या.अधि. के आरोपों पर कोई विशिष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में मात्र विवेचना अधिकारी के कथनों के आधार पर उक्त संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती।

10. अतः अभियुक्तगण समलू पिता चमरा गोंड को भा.दं0सं0 की धारा 279, 337 एवं मो.या.अधि.की धारा 3/181, 146/196 तथा अभियुक्त सुरेन्द्र को मो.या.अधि. की धारा 5/180, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 50/बी.ए.-9912 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

13. आरोपीगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)